11-3-19 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13-3-19 को पेश हो।

रीडर

13-3-19 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27-3-19 को पेश हो।

रीडर

27-3-19 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31-10-19 को पेश हो।

रीडर

31-10-19 वकील उभयपक्ष उप० । T.I. प्रा० पत्र पर पुनः बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 11-11-19 को पेश हो।

11-11-19 वकील उभयपक्ष उप० । T.I. प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

[illegible] श्री [illegible] कुमार [illegible], [illegible], उप जिला [illegible] एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

[illegible] तारीख रजू तारीख निर्णय

[illegible] 29.5.2018 11-11-19

[illegible] पुत्र कन्हैया, माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी –प्रार्थी

बनाम

[illegible] पुत्र [illegible], माली निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी —–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

[illegible] – श्री दिनेश डांस , एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

श्री [illegible] गुप्ता, एडवोकेट, अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि [illegible] अप्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि ख0नं0 945 रकबा 0.19 है0, ख0 [illegible] रकबा [illegible] है0, ख0नं0 959 रकबा 0.45 है0, ख0नं0 966 रकबा [illegible] है0, ख0नं0 972 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 976 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 [illegible] रकबा [illegible] है0, ख0नं0 954 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 960 रकबा 0.60 है0, ख0नं0 [illegible] रकबा 0.23 है0, ख0नं0 967 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 968 रकबा [illegible] है0, ख0नं0 969 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 973 रकबा 0.33 है0 [illegible] विदरखा में स्थित है जिसे प्रार्थी एवं अप्रार्थी अपने अपने हिस्से अनुसार [illegible] काश्त करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थी रामकेश का उक्त भूमि में 1.65 है0 हिस्सा है लेकिन अप्रार्थी की नियत खराब है, वह विभाजन कराए बिना [illegible] दावे में वर्णित प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के हिस्से की अधिक भूमि को [illegible] पुख्ता बाउण्ड्रीवाल बनाना चाहता है जबकि बिना विभाजन कराए [illegible] निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी ने दिनांक 21.5.2018 को धमकी दी है कि वह ख0नं0 960 व 959 के भाग पर प्रार्थी के हिस्से की [illegible] ख0नं0 959 की भूमि को दबाते हुए पुख्ता बाउण्ड्रीवाल करना चाहता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को मना किया लेकिन अप्रार्थी ने धमकी दी है कि वह बाउण्ड्रीवाल बना कर ही रहेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबंद फरमाया जावे कि वह [illegible] दावा बिना विभाजन करवाए भूमि हाल ख0नं0 960 व 959 के मध्य [illegible] बाउण्ड्रीवाल नहीं बनाए।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

अप्रार्थी ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थी ने [illegible] तथ्यों पर अभिलेख के विपरीत प्रस्तुत किया है। भूमि ख0नं0

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

945, 952, 959, 966, 972, 976 की खातेदारी प्रार्थी एवं दावे में दर्ज प्रतिवादी नं0 1 ता 6 के नाम दर्ज है। इस भूमि से अप्रार्थी का कोई वास्ता नहीं है। भूमि ख0नं0 946, 954, 960, 965, 967, 968, 969, 973 की अप्रार्थी के नाम अलग से खातेदारी दर्ज है जिसे प्रार्थी एवं दावे में दर्ज अप्रार्थी नं0 1 ता 6 का कोई वास्ता नहीं है। अप्रार्थी अपने खातेदारी की उक्त वर्णित भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थी ने चालाकी से अपनी बहन, मां व भाईयों को दावे में पक्षकार बनाकर एवं अप्रार्थी की भूमि को सहखातेदारी की भूमि बता कर राजस्व रिकार्ड के विपरीत दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी के हिस्से में 1.65 है0 भूमि आई है जबकि प्रार्थी एवं उसके भाईयों की खातेदारी में 1.70 है0 भूमि दर्ज है। प्रार्थी की नियत खराब है। पहले से ही उसके पास 5 एयर भूमि ज्यादा है एवं अब वह अप्रार्थी की भूमि ख0नं0 960 में से और भूमि लेना चाहता है इसलिए उसने गलत बातें लिखते हुए मुकदमा किया है। भूमि ख0नं0 959 रकबा 0.45 है0 प्रार्थी एवं दावे में दर्ज प्रतिवादी नं0 1 ता 6 की खातेदारी में दर्ज है तथा भूमि ख0नं0 960 रकबा 0.55 है0 अप्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। दोनों का अलग अलग खाता है। इन दोनों नम्बरों के बीच डौल मेंड विगत वर्षो से पडी हुई है तथा बीच में कूंचे व पत्थर गढे हुए है। प्रार्थी की भूमि ख0नं0 959 रकबा 0.45 है0 है तथा इसमें से एक इंच भूमि पर भी अप्रार्थी बाउण्ड्रीवाल नहीं कर रहा है बल्कि अपनी खातेदारी की भूमि ख0नं0 960 व ख0नं0 959 के मध्य जो डौल मेड बनी हुई है उसमें बीच में निर्माण करना चाह रहा है जिसके बाबत् दावा व टी0आई0 प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। भूमि का मौके पर पहले से ही विभाजन हो रहा है। प्रार्थी के खेत ख0नं0 959 रकबा 0.45 है0 की मौके पर नाप करवा ली जावे क्योंकि प्रार्थी पहले से ही 0.45 है0 से अधिक भूमि पर काबिज है। इसके बाद भी प्रार्थी अप्रार्थी के खेत ख0नं0 960 की भूमि की बनी डौल मेड को हर साल खोदता रहता है जिससे विवाद पैदा होता है। इस हमेशा के विवाद से बचने के लिए ही अप्रार्थी अपनी भूमि में बाउण्ड्रीवाल करवा रहा है। अप्रार्थी ने प्रार्थी की एक इंच भूमि भी नहीं दबाई है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने दस्तावेज फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 247, खाता संख्या 21 प्रस्तुत की हैं।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

जबाब के समर्थन में अप्रार्थी की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

दिनांक 31.7.2019 को प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रकरण में मुख्य विवाद ख0नं0 959 व 960 के मध्य की सीमा को लेकर है। ख0नं0 959 प्रार्थी व ख0नं0 960 अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के दक्षिण में ख0नं0 1568/941 की भूमि है जो मोहन पुत्र रतनलाल माली की खातेदारी में दर्ज है तथा सिवायचक भूमि ख0नं0 941 स्थित है। अप्रार्थी की भूमि ख0नं0 960 के उत्तर में लगवां भूमि ख0नं0 962 व चाह 963/1536 स्थित है। प्रार्थी की भूमि ख0नं0 959 की दक्षिणी सीमा की कोई डोलमेड बनी हुई नहीं है एवं दक्षिण की तरफ सिवायचक भूमि स्थित है। प्रार्थी की भूमि का रकबा सिवायचक भूमि को शामिल कर पूर्ण नहीं हो सकता है इसलिए चाह ख0नं0 96/1536 से नापते हुए ख0नं0 960 व ख0नं0 959 का सीमाज्ञान करने हेतु आदेश दिया जाना आवश्यक, न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

इस प्रार्थना पत्र के जबाब में अप्रार्थी ने अंकित किया है कि प्रार्थी ने गलत तथ्य लिखकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के खेत ख0नं0 959 की वर्तमान में मौके पर नाप करवा ली जावे तो प्रार्थी 0.45 है0 भूमि से भी ज्यादा भूमि पर काबिज है फिर भी वह अप्रार्थी के खेत ख0नं0 960 की नाप नवीन कूप ख0नं0 963/1536 से करवाना चाहता है जबकि ख0नं0 950 मेहन्दुचाह इससे भी पूर्व से बना हुआ है उससे ही प्रार्थी के खेत ख0नं0 959 की नाप हो सकती है।

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र एवं दिनांक 31.7.2019 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्धान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अप्रार्थी भूमि ख0नं0 959, 960 के मध्य बाउण्ड्रीवाल बनाना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है क्योंकि अभी यह भूमि अविभाजित है तथा इस भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन नहीं हुआ है। इस विवाद के हल के लिए चाह ख0नं0 963/1536 से ख0नं0 960 व 959 की नाप करवा ली जावे साथ ही अप्रार्थी को पाबंद किया जावे कि वह भूमि का विभाजन करवाए बिना ख0नं0 959, 960 के मध्य बाउण्ड्रीवाल का निर्माण नहीं करे।

अप्रार्थी के विद्धान वकील ने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि ख0नं0 960 संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की

सत्यमेव जयते

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

होना बताया है जो गलत है। यह भूमि पृथक से प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी व इसके अन्य भाई बहिनो के नाम 1.70 है0 भूमि पूर्व से ही खातेदारी मे दर्ज है जबकि अप्रार्थी के नाम इनसे कम 1.65 है0 भूमि पृथक से खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी भूमि ख0न0 960 की डौलमेड को बिना किसी अधिकार के प्रतिवर्ष खोदता रहता है जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य विवाद होता रहता है। इससे बचने के लिए ही प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि खसरा 960 मे बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कर रहा है। प्रार्थी ने गलत तथ्यो पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी ख0न0 960 का सीमाज्ञान चाह ख0न0 963/1536 को केन्द्रित कर करवाना चाहता है जबकि इससे भी पूर्व का चाह ख0न0 950 मौजूद है, उससे नही करवाना चाहता है। प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र भी खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2073–76 के अनुसार प्रार्थी एवं उसके साथ अन्य खातेदारो के नाम भूमि ख0न0 945, 952, 959, 966, 972, 976 खातेदारी मे दर्ज है तथा भूमि ख0न0 946, 954, 960, 965, 967, 968, 969, 973 अप्रार्थी के नाम पृथक से खातेदारी मे दर्ज है। इसलिए प्रार्थी का यह कथन अपने आप मे गलत साबित हो जाता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। इसलिए प्रार्थी भूमि ख0न0 960 के सम्बन्ध मे अप्रार्थी के विरूद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अप्रार्थी का कथन है कि वह उसकी खातेदारी की भूमि ख0न0 960 पर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कर रहा है चूकि यह भूमि अप्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है। इसलिए बाउन्ड्रीवाल के निर्माण को रूकवाने का प्रार्थी अधिकारी नही है। जहाँ तक भूमि ख0न0 959 व 960 की नाप का प्रश्न है, इस सम्बन्ध मे हमारा यह मानना है कि मौके पर दोनो पक्ष अलग अलग नम्बरो मे स्थित कुओ से भूमि की नाप कराना चाहते है। ऐसी स्थिति मे पूर्व मे निर्मित कूए को मुस्तकिल पॉइंट मानते हुए भूमि ख0न0 959 व 960 की नाप तहसीलदार गंगापुर सिटी से करवाना उचित है। इसी अनुसार मुकदमे का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है कि वह चाह ख0न0 963/1536 व ख0न0 950 स्थित ग्राम विदरखा मे से जो भी चाह पूर्व मे

सत्यमेव जयते

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

बना हुआ हो, उसे मुस्तकिल पॉइंट मानकर भूमि ख0न0 959 एवं 960 ग्राम दिदरखा की नाप दोनो पक्षो की उपस्थिति मे करावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल बाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 11-11-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.11.15 15:32:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: